संख्याः 181 /XXIV-3/14/02(77)2012

प्रेषक,

एस0राजू,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3

देहरादून, दिनांकः 23 फरवरी, 2014

विषयः– बालिका शिक्षा प्रोत्साहन (मुफ्त साईकिल) योजना के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः विविध/अका0/73877/साईकिल/2013–14 दिनांकः 09 जनवरी, 2014 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्याः 1682/XXIV-3/12/02(77)2012 दिनांकः 19.03.2013 द्वारा राज्य के सभी शासकीय विद्यालयों में बालिका शिक्षा प्रोत्साहन (मुफ्त साईकिल) योजना लागू की गयी है। उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्याः 1924 /XXIV-3/12/02(77)2012 दिनांकः 24.12.2013 द्वारा राज्य के सभी शासकीय विद्यालयों के साथ–साथ अशासकीय (Aided) विद्यालयों में भी बालिका शिक्षा प्रोत्साहन (मुफ्त साईकिल) योजना लागू की गयी है।

2– राज्य के मैदानी जनपदों के कतिपय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थिति पर्वतीय क्षेत्रों के समान है अतः ऐसे मैदानी जनपदों जहां की भौगोलिक परिस्थिति प्रतिकूल है, में अवस्थित शासकीय/अशासकीय (Aided) सहायता प्राप्त विद्यालयों की बालिकाओं को एफ0डी0 का विकल्प दिये जाने हेतु उपरोक्त शासनादेश दिनांकः 19.03.2013 एवं दिनांकः 24.12.2013 के क्रमशः प्रस्तर– 2(i) व प्रस्तर–3(i) में आवश्यक संशोधन करते हुए उक्त के स्थान पर निम्नवत्ः व्यवस्था किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है–

इस संबंध में संबंधित जनपद/क्षेत्र के मुख्य शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि जिन मैदानी जनपदों के कतिपय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थिति पर्वतीय क्षेत्रों के समतुल्य विषम है तथा जहां कही विषम भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत बालिकाओं को साईकिल चला पाना संभव न हो, की पुष्टि के आधार पर संबंधित विद्यालयों की बालिकाओं को मुफ्त साईकिल के स्थान पर साईकिल के कय मूल्य के समतुल्य धनराशि की एन0एस0सी0/बैंक एफ0डी0/डाकघर एफ0डी0 लेने का विकल्प उपलब्ध रहेगा जिसके अन्तर्गत साईकिल की लागत के बराबर की धनराशि सावधि जमा के रूप में दी जायेगी। किन्तु उक्त से पूर्व ऐसे क्षेत्रों में साईकिल न चला पाने की पुष्टि के संबंध में सम्पूर्ण सुनिश्चितता संबंधित जनपद/क्षेत्र के मुख्य शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य द्वारा कर ली जायेगी। यदि किन्ही क्षेत्रों/विद्यालयों में इस प्रकार से कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तब उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित जनपद/क्षेत्र के मुख्य शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य की होगी।

उपरोक्त उल्लिखित शासनादेश 19.03.2013 एवं दिनांकः 24.12.2013 की शेष समस्त शर्तें पूर्ववत यथावत लागू रहेगी।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 212(P)/XXVII(3)/2013-14 दिनांकः 19फरवरी,2014 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0राजू)
प्रमुख सचिव

क्रमशः–2

पृष्ठांकन संख्याः 181 /XXIV-3/14/02(77)2012 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3– प्रमुख सचिव,मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
4– निजी सचिव, मा0 विद्यालयी शिक्षा मंत्री उत्तराखण्ड शासन।
5– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
6– मण्डल आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौडी/ कुमाऊं मण्डल नैनीताल।
7– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9– मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक गढ़वाल मण्डल पौडी/कुमाऊं मण्डल नैनीताल।
10– समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11– निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
12– वित्त अनुभाग–3/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
13– निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
14– संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की, हरिद्वार को आगामी बजट में प्रकाशनार्थ कर उक्त की 30–30 प्रतियां इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रेषित।
15– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0तोमर)
उप सचिव।